निर्णय बइजलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

जीसीएमएस नं0 2026/51

प्रकरण संख्या 08/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया मित्रपुरा ....प्रार्थी

बनाम

श्री रेवडमल बैरवा पुत्र श्री भैरूराम बैरवा निवासी खेजडी वाली ढाणी ग्राम थनेरा, पो0 मोरन तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.08.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में रेवडमल बैरवा पुत्र श्री भैरूराम बैरवा निवासी खेजडी वाली ढाणी ग्राम थनेरा, पो0 मोरन तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0 की सम्पत्ति पट्टा सं. 04 बहक रेवडमल बैरवा पुत्र श्री भैरूराम बैरवा, ग्राम थनेरा, पोस्ट मोरन तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में खाली सरकारी भूमि, उत्तर में लक्ष्मण बैरवा का मकान व दक्षिण में सुरज्ञान बैरवा का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 5,00,000/–(पांच लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 25.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थी को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु 31 जुलाई 2026 तक का समय दिया जाता हैं। यदि अप्रार्थी द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 04 बहक रेवडमल बैरवा पुत्र श्री भैरूराम बैरवा, ग्राम थनेरा, पोस्ट मोरन तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में खाली सरकारी भूमि, उत्तर में लक्ष्मण बैरवा का मकान व दक्षिण में सुरज्ञान बैरवा का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner